



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

jdajodhpur.rajasthan.gov.in वेब साइट http://email:-jdajodhpur@rajasthan.gov.in phone no- 0291.2612086,0291.2656355 फि 0291.261537

क्रमांक:- 1135

दिनांक:- 22/8/2023

::EOI सूचना संख्या: जोन-पश्चिम:-07/2023-24::

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से निम्न कार्य से संबंधित एजेंसी/फर्म/आवेदनकर्ता/बोलीदाता/बिडर/छोटे व्यवसायी/घरेलू पाक उद्यमियों/कारोबारियों/दुकानदारों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन EOI आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

## महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

क्र.सं.	विवरण	आइटम संख्या	दिनांक व समय
1.	ऑनलाईन EOI की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	01से 06	दिनांक 24.08.2023 व समय 11.00 A.M
2.	ऑनलाईन EOI डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	01से 06	दिनांक 08.09.2023 व समय 6.00 P.M
3.	ऑनलाईन EOI जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	01से 06	दिनांक 24.08.2023 व समय 11.00 A.M
4.	ऑनलाईन EOI जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01से 06	दिनांक 08.09.2023 व समय 6.00 P.M
5.	शुल्क की ऑनलाईन SSO ID से जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01से 06	दिनांक 08.09.2023 व समय 6.00 P.M
6.	ऑनलाईन EOI खोलने की दिनांक व समय	01से 06	दिनांक 11.09.2023 व समय 11.00 A.M

## EOI का विवरण:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि (रु)	EOI शुल्क (रु)	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क (रु)	लाइसेन्स अवधि
1	कायलाना में निर्मित दुकान नं. 01 की मासिक लाइसेन्स फीस कार्य	11000/-	1000/-	500/-	EOI डॉक्युमेंट अनुसार
2	कायलाना में निर्मित दुकान नं. 02 की मासिक लाइसेन्स फीस कार्य	11000/-	1000/-	500/-	EOI डॉक्युमेंट अनुसार
3	कायलाना में निर्मित दुकान नं. 03 की मासिक लाइसेन्स फीस कार्य	11000/-	1000/-	500/-	EOI डॉक्युमेंट अनुसार
4	कायलाना में निर्मित दुकान नं. 04 की मासिक लाइसेन्स फीस कार्य	11000/-	1000/-	500/-	EOI डॉक्युमेंट अनुसार
5	कायलाना में निर्मित दुकान नं. 05 की मासिक लाइसेन्स फीस कार्य	11000/-	1000/-	500/-	EOI डॉक्युमेंट अनुसार
6	कायलाना में निर्मित दुकान नं. 06 की मासिक लाइसेन्स फीस कार्य	11000/-	1000/-	500/-	EOI डॉक्युमेंट अनुसार

## निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-


- EOI प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन EOI में भाग लेने वाले कन्सलटेन्ट को EOI इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
- EOI की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
- EOI खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष EOI खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
- EOI द्वारा निम्नलिखित राशि जरिये SSO ID से ऑनलाईन EOI शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क वितरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	ऑनलाईन SSO ID के माध्यम से <a href="http://sso.rajasthan.gov.in">sso.rajasthan.gov.in</a> पर urban service में Payment gateway for E-Tendering से	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	धरोहर राशि			सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क			M.D, RISL, JAIPUR

- प्रदत्त करें EOI खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी।

6. यदि आवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
7. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि कन्सलटेन्ट अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा कन्सलटेन्ट के यहाँ से सेवाएँ लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
8. आवेदक को EOI भरते समय साथ में GST Registration की प्रति Scan कर लगाना अनिवार्य है।
9. वित्त विभाग (जी एण्ड टी) विभाग F 8 (10)FD/SPFC/MISC/2022 Jaipur dated 27-01-2023 के अनुसार ऑनलाइन SSO ID के माध्यम के रूप में देय होगी। यह राशि मैनेजिंग डायरेक्टर, RISL के पक्ष में भुगतान होगी।
10. नेगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
11. **EOI शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-**

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रुपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 1500
150 लाख से 500 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 2000
500 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रुपये 2500
12. ई-टेंडरिंग के लिए कन्सलटेन्ट हेतु निर्देश:-
  - इन EOI में भाग लेने वाले इच्छुक निविदा दाता EOI प्रपत्रों का इन्टरनेटसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से देख/ डाउनलोड कर सकते हैं।
  - EOI में भाग लेने वाले को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिडर्स के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
  - कन्सलटेन्ट को प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
  - इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे की प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
  - कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
  - EOIके प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
13. (निर्धारित नोन ज्युडिसियल स्टाम्प पर) तथा नियमानुसार
14. सलंगन परिशिष्ट ए से डी की पूर्ति करके संवेदक को प्रत्येक पृष्ठ पर लिखित में स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. निविदादाता को किसी भी सरकारी विभाग से डिबार (वर्ज्य सूची) Blacklist नहीं किया हुआ हो का रूपये 100/- के स्टॉम्प में स्व घोषणा पत्र सलंगन करे।
16. निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेज के सही अर्थात कूटरचित दस्तावेज नहीं होने का शपथ-पत्र रु. 100/-के स्टॉम्प में स्वघोषणा पत्र सलंगन करना अनिवार्य होगा।
17. EOI दस्तावेज में वर्णित सभी शर्तों की पालना बिडर/आवेदक को करनी होगी।


  
अधिशाषी अभियंता (पश्चिम)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर

दिनांक : .....

क्रमांक :

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.लि./जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
9. अधिशाषी अभियंता जोन-पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/उत्तर / पी एच.ई./विद्युत, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
10. कैशियर /नोटिस बोर्ड।
11. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, [www.jodhpurida.org](http://www.jodhpurida.org) एवं [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) की वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे तथा जी शेड्यूल अपलोड होने के पश्चात टेंडर आई.डी अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावे। सूचना सहायक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से SSO.RAJASTHAN.GOV.IN पर URBAN SERVICES में PAYMENT GETWAY की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
13. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर/ जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्टर एसोसियेशन / ठेकेदार संघ सिविल जे.डी.ए./पी.डब्ल्यू.डी ठेकेदार संघ/.....।

  
अधिशाषी अभियंता (पश्चिम)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर